


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित व्याख्याता का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान                | विषय                         | अवधि   | स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।  |
|----------|---|------------------------------|--|---|
| 1        | 2   | 3                            | 4  | 5   |
| 01       | श्रीमती मधुलता शर्मा – राउमावि लूनियावास, जयपुर | व्याख्याता – राजनीति विज्ञान | माह सितम्बर 2018<br>अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2018 तक | शहीद अमित भारद्वाज राउमावि माणक चौक, जयपुर में व्याख्याता के रिक्त पद से<br>राउमावि लूनियावास जयपुर में व्याख्याता के रिक्त पद से |

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/वेतन व्यवस्था/रावि/2018      दिनांक— 05 /02/2019  
प्रतिलिपि सूचनार्थः—

- 1— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- 2— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- 3— संबंधित संस्था प्रधान.....
- 4— अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग, को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 5— कार्यालय प्रति।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर